मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं विभिन्न पीआईयू में मुख्य महाप्रबंधक–1 पद, महाप्रबंधक–12 पद एवं लेखाधिकारी के 18 पदों पर तथा मनरेगा में मुख्य अभियंता–1 पद, अधीक्षण यंत्री–2 पद एवं कार्यपालन यंत्री के 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर, चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। पदों हेतु निर्धारित अर्हताधारी आवेदक यदि एक से अधिक पदों पर करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र में क्र. 15 पर प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से अंकित किया जावें, विभिन्न संवर्गो हेतु विज्ञापित पदों को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार नियुक्ति हेतु पूर्णतः भरे हुये आवेदन जमा करने की **अन्तिम दिनांक 09/08/2017** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति (अ) (ब) एवं (स), उक्त पदों हेतु वेतन, न्यूनतम अर्हताएं, आयु सीमा, पदस्थापना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि अन्य जानकारी, विभागीय बेवसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है।

क्र.17133 दिनांक 14/07/2017, क.17134 दिनांक 14/07/2017 एवं क्र.17136 दिनांक 14/07/2017

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

F:\ROHIT\Co-ordination Data\Vacancy\13. CGM, GM Dep.Contract\13-07-2017\Letter, Short Note, Full Note GM, CGM 7.7.17.docx

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड–2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 17133/22/वि–12/2017 भोपाल, दिनांक 14.07.2017

विज्ञप्ति (अ)

प्राधिकरण मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर पदस्थापना हेतु, अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं : –

क्र	पदनाम	वेतनमान/एकजाई संविदा मानदेय	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)	वेतन बैण्ड में वेतन रूपये 37400–67000 ग्रेड वेतन रूपये 8700	प्रतिनियुक्ति		मुख्य अभियंता (सिविल) के मूल पर पद पर कार्यरत अथवा अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।	01	प्राधिकरण मुख्यालय
		रू. 90000/– प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष तक	मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।		
2	महाप्रबंधक (सिविल)	वेतन बैण्ड में वेतन रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600	प्रतिनियुक्ति		राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के मूल पद पर कार्यरत डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, अथवा ऐसे सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षो का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो। अथवा ऐसे सहायक यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जिन्हें मूल पद पर रहते हुये प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।	12	प्राधिकरण इकाई
		रू. 50000/– प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष तक	महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षो का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव आवश्यक है। रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात ग्रेड पे रू. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।		

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के उपरोक्तानुसार रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित चयन प्रकिया के उपरांत प्रथमतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाना है। प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

चयन की शर्ते :–

1. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेगें, अर्थात दिनांक 31.01.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेगें। सेवानिवृत्ति उपरांत विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा पर मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की जाना आवश्यक होगा। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

3. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा पर महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म. प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, जिन्हें रोड एवं पुल निर्माण मैदानी कार्य का अनुभव हो को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षो का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षो का फील्ड का अनुभव आवश्यक है। रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे–मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात ग्रेड पे रू. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक पद हेतु सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना अनिवार्य होगा।

5. उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षो में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्क्वायरी के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।

6. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित मुख्य महाप्रबधंक/महाप्रबंधक की संविदा आधार पर 2 वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक–एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रकिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

7. संविदा सेवा में प्रतिमाह निम्नानुसार एकजाई संविदा मानदेय देय होगा :–

7.1	मुख्य महाप्रबंधक	–	रू. 90000/– प्रतिमाह
7.2	महाप्रबंधक	–	रू. 50000/– प्रतिमाह

8. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –

8.1	आकस्मिक अवकाश	–	13 दिवस
8.2	एच्छिक अवकाश	–	03 दिवस

\\KALPANA-SINGH\Users\Public\k.s\13-07-2017\Letter, Short Note, Full Note GM, CGM 7.7.17.docx